मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 84
8 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में पीएमएवाई-शहरी

***84. श्री अशोक महादेवराव नेते:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में नक्सल प्रभावित जनजातीय बहुल गढ़चिरोली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में आबंटित और उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से महाराष्ट्र के जनजातीय बहुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गढ़चिरोली-चिमुर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और गरीब बेघर परिवारों के लिए आवासों की संख्या में वृद्धि करने तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण हेतु विशेष प्रावधान से संबंधित बीपीएल के मानदंडों में छूट देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

विवरण

"महाराष्ट्र में पीएमएवाई-शहरी" के संबंध में 08 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *84 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में आवासन और शहरी गरीबों से संबंधित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) 'सभी के लिए आवास' मिशन के तहत, दिनांक 25.06.2015 से, सभी पात्र शहरी लाभार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों/घरों को, बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए, केंद्रीय सहायता प्रदान करके, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। पीएमएवाई-यू में देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें आकांक्षी जिलों जैसे पिछड़े क्षेत्रों में स्थित क्षेत्र भी शामिल हैं।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। योजना के दिशानिर्देशों के तहत, उन सभी परिवारों को पात्र लाभार्थी माना जाता है, जो आय मानदंडों को पूरा करते हों और जिनके नाम पर देश में कहीं भी पक्का घर न हो। मांग के आकलन, परियोजनाओं के निरूपण, लाभार्थियों के चयन आदि सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-यू योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

पात्र लाभार्थियों के चयन और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, परियोजना प्रस्तावों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा, केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) को केंद्रीय सहायता की आगे की मंजूरी के लिए, अनुमोदित किया जाता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन के आधार पर क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने पर विचार करता है। महाराष्ट्र का कोई भी परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय में विचारार्थ लंबित नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक, पीएमएवाई-यू के तहत देश, महाराष्ट्र राज्य, देश के आकांक्षी जिलों, महाराष्ट्र राज्य के आकांक्षी जिलों और गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत आवासों, स्वीकृत और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू, की कार्यान्वयन अवधि जो पहले 31.03.2022 तक थी, के सीएलएसएस घटक को छोड़कर, फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना, सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए, 31.12.2024 तक बढ़ा दी गई है।

*****

08 फरवरी, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *84 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमएवाई-यू के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान और मिशन अवधि के दौरान देश, महाराष्ट्र और गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय क्षेत्र में आकांक्षी जिलों के साथ-साथ समग्र वास्तविक और वित्तीय प्रगति की वर्तमान स्थिति।

क्रम सं	विवरण		पीएमएवाई-यू की स्थिति				
			अखिल भारतीय	देश के आकांक्षी जिले	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र के आकांक्षी जिले	गढ़चिरौली - चिमुर संसदीय क्षेत्र
1	शुरुआत से लेकर अब तक (2015-2024)	स्वीकृत आवास (संख्या)	1,18,63,073	10,03,241	13,95,199	23,044	7,319
2		निर्माणाधीन आवास (संख्या)	1,14,00,710	9,17,815	11,15,241	16,040	6,124
3		पूर्ण आवास (संख्या)	80,02,369	5,65,671	8,32,932	9,926	3,408
4		स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	1,99,642.59	15,654.67	25,999.56	376.23	113.92
5		जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	1,56,282.92	11,639.53	18,083.59	206.50	59.42
6	पिछले तीन वर्षों के दौरान (2020-23)	स्वीकृत आवास (संख्या)	44,97,383	3,21,147	6,00,614	11,384	3,584
7		जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	75,148.94	5,185.01	10,921.48	148.56	42.60
8		उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)*	83,396.04	7,732.41	10,612.31	144.97	43.75

*वर्ष के दौरान निधि के उपयोग में ऐसी निधियों का उपयोग शामिल है, जो पिछले वर्षों के दौरान आवंटित (जारी) की गई थीं।

नोट: महाराष्ट्र में 4 जिलों (गढ़चिरौली, नंदुरबार, उस्मानाबाद और वाशिम) सहित 112 अपेक्षाकृत पिछड़े आकांक्षी जिले हैं, जिन्हें नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) बेंचमार्क के तहत चिह्नित किया गया है।

*****